इकाई 16 आईसीटी : सामाजिक, कानूनी तथा नीतिगत मुद्दे

इकाई की रूपरेखा

16.1 परिचय

16.2 उद्देश्य

16.3 आईसीटी तथा सामाजिक मुद्दे

- 16.3.1 साइबरस्पेस तथा सामाजिक मुद्दे
- 16.3.2 आईसीटी से भयः एक सामाजिक समस्या

16.4 अधिगम संसाधनों का उचित उपयोग

- 16.4.1 आईसीटी नीति
- 16.4.2 इन्टरनेट फिल्टरिंग
- 16.4.3 बौद्धिकसंपदा का प्रबंधन
- 16.4.4 डिजिटल दुनिया में कॉपीराइट
- 16.4.5 प्लेज्रिज्म अथवा साहित्यिक चोरी
- 16.4.6 खुला स्रोत तथा खुली अर्थात् असंरचित विषयवस्तु
- 16.4.7 निजता नीति

16.5 विविधता को दृढता प्रदान करने के लिए तकनीकी संसाधन

16.6 संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच के लिए तकनीकी

16.7 सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दों पर आईसीटी का प्रभाव

- 16.7.1 आईसीटी तथा बाल विकास
- 16.7.2 साइबर बुलियिंग (डराना–धमकाना)
- 16.7.3 तकनीकी के उपयोग से व्यसन, व्यग्रता तथा तनाव का होना

16.8 सारांश

16.9 सुझावात्मक पठन सूची एवं संदर्भ सामग्री

16.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.1 परिचय

पूर्व की इकाईयों में, आपने विभिन्न संदर्भों में आईसीटी के उपयोग के बारे में पढा होगा, जैसे कि कक्षाकक्ष में शिक्षण, अधिगम, शिक्षकों तथा छात्रों के बीच संवाद, आनलाइन आंकलन, अधिगम सहयोग, आदि। इस इकाई में, आप आईसीटी से संबंधित सामाजिक, कानूनी तथा नीतिगत मुद्दों के बारे में सीखेंगे। आईसीटी इन्टरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के उपयोग को सुगम बनाता है। लेकिन व्यक्ति को कॉपीराइट तथा बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कानूनी पहलुओं के बारे में सावधान रहना चाहिए। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के अतिरिक्त, सोशल मीडिया तकनीकी हमारे रोजमर्रा के जीवन स्थापित हो गयी है। तकनीकी, जैसे कि बहुत सारे टेलीविजन, लैपटाप, एमपी3 प्लेयर, मोबाइल फोन, टैबलेट, गेम कनसोल, आजकल के युवाओं के जीवन का हिस्सा बन गये हैं।

सोशल मीडिया ने परस्पर सामाजिक क्रिया तथा सूचनाओं तक पहुँच के लिए नए उपायों का निर्माण किया है। इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा एप्पस् की इस तेज वृद्धि के कारण व्यक्ति को साइबर वुलिंग, इन्टरनेट व्यसन तथा अन्य तकनीकी से होने वाली व्यग्रता,

तनाव तथा पथभ्रष्ट व्यवहार आदि के बारे में अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। आप इन सभी पहलुओं के बारे में इस इकाई में सीखेंगे।

16.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप सक्षम होंगे कि आप :

- आज के जीवन में आईसीटी तथा सामाजिक मुद्दों की व्याख्या कर सकें।
- ऑनलाइन उपलब्ध अधिगम संसाधनों के उपयोग में आचार संबंधी मुद्दों की व्याख्या कर सकें;
- डिजीटल दुनिया में प्लेज्रिज्म अर्थात् साहित्यिक चोरी तथा कॉपीराइट नियमों तथा प्रावधानों पर चर्चा कर सकें;
- खुले स्रोत, खुली अर्थात् असंरचित विषयवस्तु तथा इसकी लाइसेंसिंग पर चर्चा कर सकें; तथा
- साइबर वुलिंग तथा इन्टरनेट व्यसन की सामाजिक सांस्कृतिक, समस्याओं के ऊपर तकनीकी के प्रभावों पर चर्चा कर सकें।

16.3 आईसीटी तथा सामाजिक मुद्दे

हमारे सामाजिक जीवन में आईसीटी तक पहुँच सामान्य हो गयी है। मोबाइल सेवाओं को समाज के लिए अनिवार्य माना जाता है। जीविका, शिक्षा, मनोरंजन, इत्यादि के लिए इन्टरनेट एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है। आईसीटी ने सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। आईसीटी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम के लिए भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी के तीव्रवृद्धि के कारण, विभिन्न प्रकार के संवादमूलक माध्यम उभर कर आये हैं, जैसे कि ई–मेल, फेसबुक, ट्वीटर, इत्यादि। हालांकि, 'डिजिटल विभाजन' रहता है तथा यह अनैतिक सीमाओं तक बढ़ा है।

16.3.1 साइबरस्पेस तथा सामाजिक मुद्दे

एक समुदाय में लोग एक साथ रहते हैं तथा एक सार्वजनिक स्थान में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। साइबरस्पेस को एक ऐसे वाहक के रूप में माना जा सकता है जो वास्तविक स्थान के प्रमुख बिन्दुओं पर संपर्क बनाता है। यहाँ, विचार इस वाहक से होकर गुजरता है तथा व्यवसाय इसी वाहक अर्थात् साइबरस्पेस पर सम्पादित होता है।

साइबरस्पेस समुदाय ऐसे वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं जो वास्तविक स्थान के बजाए एक अलग स्थान पर परस्पर क्रिया कर रहे हैं। ये सदस्य शायद ही कभी वास्तविक स्थान परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, परन्तु वे मल्टीमीडिया के द्वारा टेक्सट, चित्र, ध्वनि, अथवा इन तीनों के मिश्रित रूप के माध्यम से साइबरस्पेस में परस्पर क्रिया करते हैं। लोगों के इस समुदाय का हिस्सा बने बगैर इन्टरनेट का उपयोग करना संभव नहीं है। वस्तुतः, एक व्यक्ति समुदाय का एक हिस्सा बनने को टाल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति लोगों को ई–मेल करते हुए, वेब पन्नों को पढते हुए, खबरों के समूह को पढते हुए, अथवा ऑनलाइन व्यवसाय करते हुए, सारा समय, एक वाहक के रूप में इन्टरनेट का उपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति साइबरस्पेस समुदाय से जुड़ गया है। अनौपचारिक तथा सुरक्षित, दोनों ही तरीकों से इन्टरनेट का उपयोग द्वि–अंकीय वृद्धि दर के साथ बढा है जिसे महीनों के दर से मापा जाता है, न कि वर्ष दर वर्ष के अनुसार। जबकि, इन्टरनेट

उपयोगकर्ता, एक डिजिटल पहचान व्यवस्था की आवश्यकता को पहचानते हैं। कई प्रबुद्ध लोग जो इन्टरनेट एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, वे सुरक्षा तथा पहचान के वर्तमान स्तरों के बारे में अस्पष्ट रहते हैं।

16.3.2 आईसीटी से भयः एक सामाजिक समस्या

आईसीटी का भय एक प्रकार का अतर्कसंगत भय है जो किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा जटिल यंत्र, विशेषकर कम्प्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल, आदि के उपयोग के विषय में होता है। हालांकि आईसीटी के भय की कई व्याख्याएं हैं, वे और भी मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि तकनीकी बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है। आईसीटी के भय का उपयोग अक्सर अनावश्यक व्यग्रता के होने के अर्थ में किया जाता है। आईसीटी का भय कम्प्यूटर के साथ सीखने अथवा कम्प्यूटर का उपयोग करते हुए प्रभावी रूप से न सीखने की व्यग्रता के साथ जुडा है। यह मूल रूप से उन नए कौशलों को सीखने को टालने के लिए होता है जो स्कूलों अथवा कार्यक्षेत्र में कम्प्यूटर सीखने के लिए अनिवार्य हैं। आईसीटी के भय ने दुनियाभर में बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। कई शिक्षक, सिर्फ तकनीकी के अपने भय के कारण, अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए तकनीकी सहायक सामग्री का उपयोग करने से मना कर देते हैं।

जैसा कि दैनिक जीवन में तकनीकी का उपयोग बढा है, व्यक्ति को नई तकनीकी के उपयोग की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे बुजुर्ग (दादी–दादा, आदि) अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों से संवाद के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखने में कमी आई है। अधिकारिक सूचनाओं को ई–मेल के माध्यम से भेजा जाता है। यदि लोग बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं अथवा वे नई तकनीकी के उपयोग को लेकर भयभीत रहेंगे तो कार्यस्थल और यहाँ तक कि समाज में अलग–थलग पड़ जाएंगे। कौशलों का विकास करना, तकनीकी के भय को पराजित करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो लोग इस भय से ग्रस्त हैं, उन्हें इस भय को पराजित करने के लिए अपनी कठिनाईयाँ अवश्य साझा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। वे नई तकनीकी का उपयोग करने के लिए वांछित कौशल प्राप्त करने के लिए तथा अपने आत्म–विश्वास में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। युवा लोगों को चाहिए कि वे अधिक आयु के लोगों को समर्थन दें जिससे कि वे इस भय से मुक्ति प्राप्त कर सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : अ) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) साइबरस्पेस क्या है?

.....

.....

.....

2) आईसीटी के भय से उबरने के लिए किन्हीं दो चरणों को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

16.4 अधिगम संसाधनों का उचित उपयोग

जब आप ढूँढने के लिए कोई शब्द अथवा पद टाइप करते हैं, आपको हजारों संबंधित अर्थ अथवा सूचना मिलती है। आज की दुनिया, आपके एक क्लिक पर सूचनाओं से भरी हुई है। आपको सही सूचना प्राप्त हो अथवा गलत, लेकिन आपको ढेरों सूचनाएं इन्टरनेट पर उपलब्ध मिलती हैं। उसी प्रकार से, अधिगम संसाधन भी इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं। कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं, जैसे कि– मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) दुनियाभर के कई ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्ों/शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कुछ अधिगम संसाधन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं तथा कुछ का कॉपीराइट है। इस खण्ड में, हम आईसीटी नीति पर तथा इस बात पर चर्चा करेंगे कि आईसीटी द्वारा उपलब्ध अधिगम सामग्री का सही तरीके से, कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, निजता नीति, आदि के ज्ञान के साथ उपयोग किया जा सकता है।

16.4.1 आईसीटी नीति

आईसीटी नीति, आईसीटी को किसी भी क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिए रणनीतियाँ उपलब्ध कराती है। आईसीटी नीतियाँ विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में जहाँ आईसीटी के मुद्दे शामिल होते हैं उनके द्वारा स्वीकार तथा क्रियान्वित की जाती हैं। आईसीटी नीति का मुख्य विषय टेली–कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग तथा इन्टरनेट है। यह सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में आईसीटी के उपयोग के दिशानिर्देश निर्धारित करता है। नीति में उपयोगकर्त्ताओं के लिए दिशानिर्देश के रूप में एक कार्य योजना होती है। एक राष्ट्रीय आईसीटी नीति सरकार द्वारा उन साझेदारों के लिए निर्मित तथा क्रियान्वित एक नीति होती है जो सभी क्षेत्रों तथा समाज के लिए डिजिटल तकनीक लाने के लिए समर्पित हैं जिससे कि वे सूचना तक पहुँच से लाभांवित हो सकें।आईसीटी नीति विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग को सुगम बनाती है तथा डिजिटिलाइजेशन को प्रोत्साहित करती है। यह सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकम्युनिकेशन्स, नेटवर्किंग, इन्टरनेट तथा सूचना सुरक्षा को नियंत्रित करती है। नीति में ई–गर्वनेन्स के मुद्दे भी शामिल होते हैं।

विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, (जिसे 1992 में संशोधित किया गया है) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक तकनीकी के उपयोग पर बल देती है। नीति के वक्तव्य ने दो प्रमुख केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आधार का निर्माण किया, जो हैं – शैक्षिक तकनीकी तथा विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन। इनसे एक अधिक व्यापक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ, वह है –विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी, 2004। आईसीटी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 में भी रेखांकित किया गया है। गुणवत्ता में सुधार के आईसीटी के उपयोग का उल्लेख शिक्षा पर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में भी मिलता है। पुनः आईसीटी का विस्तृत विवरण शिक्षा पर केन्द्रीय परामर्श समिति (CABE), द्वारा 2005 में माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण पर तैयार की गयी रिपोर्ट में विद्यालयों के लिए सुझाए गये मानदण्डों में भी मिलता है। तकनीकियों को सम्मिलित करने के साथ, यह अतिआवश्यक हो गया है कि देश में विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए सभी संभावित सूचना तथा संचार तकनीकी पर विस्तार से नजर डाली जाए। शिक्षा के संपूर्ण विकास के लिए आईसीटी का व्यापक चयन, केवल एक दृढ़ आईसीटी नीति पर ही तैयार की जा सकती है। विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी नीति की पहल, पहुँच को बढाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आईसीटी की अद्भुत क्षमता से प्रेरित है। यह नीति, एक

राष्ट्रीय नीति के रूपरेखा के भीतर, राज्यों को विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी के इष्टतम उपयोग को सहयोग प्रदान करने का प्रयास करती है। 2012 में विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी के उपयोग पर नीति का विकास किया गया। इस नीति में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी, चुनौतियों तथा मुद्दों को शामिल करती है, जैसे कि आईसीटी साक्षरता तथा क्षमता अभिवृद्धि, आईसीटी द्वारा सक्षम बनाई गयी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, उच्च माध्यमिक स्तर पर चयनात्मक पाठ्यक्रम, कौशल विकास के लिए आईसीटी (व्यवसायिक तथा सामान्य शिक्षा के जीविका आधारित क्षेत्र), विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आईसीटी, तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए आईसीटी।
- विद्यालय प्रबंधन के लिए आईसीटी, स्वाचालित तथा आईसीटी द्वारा प्रबंधित विद्यालयी प्रक्रियाओं तथा विद्यालय प्रबंधन सूचना व्यवस्था की बात करता है।
- आईसीटी अधोसंरचना में शामिल हैं हार्डवेयर, नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर एवं सक्षम बनाने वाली आधारभूत संरचना।
- डिजीटल संसाधनों में डिजीटल विषयवस्तु तथा संसाधन, विषयवस्तु का विकास, डिजीटल विषयवस्तु का प्रसार व साझा किया जाना तथा विद्यालय पुस्तकालय की भूमिका शामिल है।
- क्षमता निर्माण में सेवारत शिक्षकों के क्षमता निर्माण, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण, विद्यालय प्रधानों के क्षमता निर्माण तथा राज्य/जिला शिक्षा विभाग से संबद्ध व्यक्तियों के क्षमता निर्माण की बात होती है।
- नीति के क्रियान्वयन तथा प्रबंधन में कार्यक्रम के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन समूह, अन्तर मंत्रालयी समूह, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की संस्थाएँ, राज्यों की भूमिका, कार्य योजना, सलाहकार समूह, नियम, मानदण्ड तथा प्रक्रियाएँ, आईसीटी अधोसंरचना के लिए प्रारूप, नियामन उपाय तथा प्रोत्साहन शामिल होते हैं।
- वित्तपोषण तथा संवहनीयता वित्तीय पक्षों तथा संवहनीयता के बारे में बात करते हैं।
- निगरानी तथा मूल्यांकन में निगरानी, मूल्यांकन, परिणामों व खोजों एवं नीति समीक्षा का साझा किया जाना शामिल है।

नीति में शामिल किये गये विभिन्न क्षेत्रों के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप www.mhrd.gov.in पर जा सकते हैं।

(स्रोत : www.mhrd.gov.in . – पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन एण्ड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिर्सोस डेवेलपमेन्ट, गर्वमेन्ट ऑफ इन्डिया 2012)

16.4.2 इन्टरनेट फिल्टरिंग

इन्टरनेट फिल्टरिंग उपकरण, URLs के एकत्रीकरण के लिए तकनीकियों के असंख्य वर्गीकरणों का उपयोग करता है। इसमें लोगों के द्वारा समीक्षा, एक लाइसेंसप्राप्त URL फिल्टरिंग इंजन, आन्तरिक रूप से विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण कोडिंग, तथा विषयवस्तु के टैग्स की स्वाचालित पहचान, शामिल होते हैं। इन्टरनेट फिल्टर एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो माता–पिता, शिक्षकों तथा प्रशासकों को यह अनुमति देता है कि

वे अनुमति प्रदत तथा निषिद्ध वेबसाइट्स की सूची को नियंत्रित कर सकें। वास्तविक रूप से, इन्टरनेट फिल्टरों का उपयोग घरों तथा पब्लिक स्कूलों व पुस्तकालयों में किया जाता था।

आखिरकार, व्यवसायों, निजी क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र में में इन्टरनेट के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए इन्टरनेट फिल्टर को शामिल कर लिया गया है। यह कर्मचारियों द्वारा कार्य अवधि के दौरान समय व्यर्थ करने की रोकथाम करने तथा इन्टरनेट को दुर्भावनापूर्ण विषयवस्तु से सुरक्षित रखने को सुगम बनाता है। कुछ देशों में, इनका उपयोग नागरिकों को कुछ खास वेबसाइट तक पहुँचने से रोकने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फिल्टरिंग तकनीकें निम्न प्रकार से हैं :

- **होस्ट–आधारित फिल्टरिंग:** इस तकनीक के माध्यम से, प्रशासक उपकरण में सॉफ्टवेयर इन्सटॉल करते हैं। इसके नियम प्रशासक की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं। इन नियमों से बाहर गतिविधियों का प्रयास प्रतिबंधित होता है।

- **सर्वर–साइडफिल्टरिंग:** कम्पनियाँ तथा संगठन सामान्यतया इसे गेटवे स्तर पर अपनाते है। कम्पनी हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर इन्सटॉल कर सकती है जो कि ट्रैफिक को गेटवे स्तर पर फिल्टर करने में सक्षम हो तथा नियमों को आकार दिया जा सकता है जो कम्पनी के नेटवर्क के भीतर सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे।

- **इन्टरनेट सेवा प्रदाता विषयवस्तु के स्तर पर फिल्टरिंग:** कई इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा यह सेवा अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध करायी जाती है। कम्पनियाँ तथा संगठन जो कि अपने स्वयं के गेटवे–स्तर के विषयवस्तु फिल्टरिंग उपकरण में निवेश नहीं करना चाहती हैं, वे इस विकल्प को चुन सकती हैं तथा इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने विषयवस्तु फिल्टरिंग शर्तों के विषय में सूचित कर सकती हैं। यह तरीका अन्य तीन विकल्पों की तरह प्रभावी नहीं है क्योंकि उपयोगकर्त्ता द्वारा ब्राउजर सेटिंग्स में बदलाव लाकर फिल्टरिंग को नजरअंदाज किया जा सकता है। कुछ ख्यात इन्टरनेट फिल्टर निम्न हैं– (i) नॉरटॉन ऑनलाइन फैमिली, (ii)नेट नैनी (iii) साइबर पेट्रोल, (iv) पैरेंटल इन्टरनेट फिल्टर (स्रोत : http://www.apu.edu/imt/policiesandprocedures/filtering/).

बोध प्रश्न

टिप्पणी : अ) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

3) खाली स्थानों को भरें।

i) विद्यालयी शिक्षा पर आईसीटी नीति, वर्ष ..... में तैयार की गयी।

4) इन्टरनेट फिल्टरिंग क्या है? विभिन्न प्रकार के इन्टरनेट फिल्टरिंग तकनीकों की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

16.4.3 बौद्धिक संपदा का प्रबंधन

बौद्धिक संपदा शिक्षा में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा है, विशेषकर शिक्षा के प्रदान किये जाने में डिजिटल मीडिया और संसाधनों के उपयोग के कारण। जबकि बौद्धिक संपदा में अवधारणाओं का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है, जैसे कि माता–पिता, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन। इस सेक्शन में हम केवल कॉपीराइट पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। कॉपीराइट कानून विभिन्न देशों के अनुसार भिन्न होते हैं, हालांकि इस विषय में एक सामान्य समझौता है, अधिकांश देशों ने जिस पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार, हम कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों पर सामान्य वक्तव्य देंगे तथा आपको संदेह की स्थिति में अपने कानूनी सलाहकार से संपर्क करने का सुझाव देंगे। कई बार, कॉपीराइट कानून के कुछ पहलू हैं जो कि व्याख्या की विषयवस्तु होते हैं तथा सामान्यीकरण किये जाने के लिए पर्याप्त मामले उपलब्ध नहीं हैं। कई बार,कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में न्यायिक आदेश प्राप्त करने में समय लग जाता है क्योंकि कानूनी मामला निचली अदालत से ऊपरी अदालत में और देश के सुप्रीम कोर्ट तक खिंचता चला जा सकता है, और इसलिए इसमें समय और संसाधनों की बर्बादी शामिल हो सकती है। शैक्षिक संस्थानों के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण चिंता है, क्योंकि उन्हें अपने संकाय द्वारा सृजित बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा करने की तथा कार्य के सृजनकर्ता को उपयुक्त पुरस्कार देने की आवश्यकता होती है। जबकि हम इस बात पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा कैसे की जाए, हम इसमें अधिक रूचि ले रहे हैं कि कैसे कानूनों का उल्लंघन न हो तथा कानूनी विवादों को कैसे टाला जाए। शैक्षिक संस्थाएँ बडी मात्रा में अधिगम सामग्रियों का निर्माण करते हैं। इसलिए, यह महत्त्वपूर्ण है कि संस्थागत हितों की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट नीतियाँ यथास्थान हों।

कॉपीराइट क्या है?

कॉपीराइट एक विशेष अधिकार है जो मूल कार्य के रचनाकार को उसके पुर्नोत्पादन, अनुवाद, अनुकूलन, प्रदर्शन, राजस्व प्राप्त करने तथा उस कार्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य वित्तीय लाभ में शामिल होने के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट कानून 1957 (भारत में), दूसरों के लिए रचनाकार की अनुमति के बगैर, मूल कार्य के उपयोग को गैरकानूनी बनाकर मूल कार्य के रचनाकार की सुरक्षा करता है। कई शिक्षण संस्थाएँ, कॉपीराइट से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए, कॉपीराइट धारकों को भुगतान करने के लिए तथा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी कॉपीराइट अनुमतियों का लेखा–जोखा रखने के लिए कॉपीराइट अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। कुछ अन्य संस्थाएँ लेखकों को सुझाव देती हैं कि यदि तृतीय पक्ष वाली सामग्रियों का उपयोग''न्यायसंगत व्यवहार'' की शर्त से परे किया जा रहा है तो वे कॉपीराइट अनुमति प्राप्त करें। कॉपीराइट कानून में न्यायसंगत उपयोग की शर्त, कार्य के छोटे अंश के बिना कॉपीराइट धारक से अनुमति प्राप्त किए उपयोग करने की अनुमति देता है। हालांकि, ''छोटे'' की मात्रा की व्याख्या की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी संभव है कि कुछ कामों को कक्षाकक्ष के संदर्भ में (सिर्फ एक बार) उपयोग में लाया जाए, तथा यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन, शैक्षिक संदर्भ में, न्यायसंगत उपयोग का मामला जटिल हो जाता है। जब सामग्री मुद्रित होती है, कई संस्थाएँ उन कार्यों से मुनाफा कमाती हैं।

16.4.4 डिजिटल दुनिया में कॉपीराइट

कॉपीराइट का मामला डिजिटल दुनिया में जटिल हो जाता है। कई लोग वेबसाइट तक पासवर्ड सुरक्षा के बिना जाते हैं तथा वेब सामग्रियों का उपयोग अपने काम में करते हैं। वस्तुतः, एक वेबसाइट एक किताब की तरह होती है। इसलिए, कॉपीराइट कानून वेबसाइट पर भी लागू होते हैं। जबतक कि वेबसाइट का लेखक/रचनाकार, विषयवस्तु के उपयोग

की खुली अनुमति नहीं देता, हम उस कार्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वेबसाइट में शोध तथा समीक्षा के लिए विषयवस्तु के न्यायसंगत उपयोग की हमेशा अनुमति होती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वेबसाइट ''सार्वजनिक कार्यक्षेत्र'' होती हैं। वस्तुतः, ऐसा नहीं है। ''सार्वजनिक कार्यक्षेत्र'' के अन्दर किसी भी सामग्री के होने का अर्थ होता है कि वे कॉपीराइट कानूनों अथवा बौद्धिक अधिकार के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कई देशों में, रचनाकार के मृत्यु के 50–70 वर्षों में, कॉपीराइट की समाप्ति मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सरकारी कार्यों को कॉपीराइट में नहीं शामिल किया जाता है और वे सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा डिजिटल सामग्रियों पर किसका स्वामित्त्व होता है? यह प्रश्न अक्सर बहुत से लोगों द्वारा पूछा जाता है, विशेषकर ऑनलाइन अधिगम के संदर्भ में। मेहनताना (काम) देकर तैयार करवायी गयी सामग्रियाँ सामान्यतया नियोक्ता के स्वामित्त्व में होती हैं। इसलिए, एक नियुक्तिप्राप्त शिक्षक द्वारा तैयार की गयी अधिगम सामग्री, उसके नियोक्ता के स्वामित्त्व की हैं। हालांकि, यह कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अनुबंध द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ तक कि कुछ, विश्वविद्यालय छोड़ने की स्थिति में शिक्षकों को पाठ्यक्रम अपने साथ ले जाने की अनुमति तक देते हैं। इसलिए, संस्थानों को अपने द्वारा तैयार की गयी सामग्री के कॉपीराइट के मामले में स्पष्टता अवश्य होनी चाहिए, विशेष उन सामग्रियों पर जो उनके कर्मचारियों द्वारा तैयार की गयी हो तथा जो बाहर के संसाधनसेवी के द्वारा तैयार की गयी हो। चाहे जो भी परिस्थिति हो, कॉपीराइट सामग्री तैयार करते समय, यह महत्त्वपूर्ण है कि दूसरे के कामों का उपयोग स्वीकार की गयी परम्पराओं के ही अनुरूप हो, तथा कॉपीराइट धारक से अनुमति ली गयी हो जब तालिकाओं, ग्राफिक्स तथा टेक्सट की एक अच्छी खासी मात्रा उपयोग में लायी गयी हो। बेट्स (2000) डिजीटल सामग्री के रचनाकारों के लिए निम्नलिखित सुझाव उपलब्ध कराते हैं:

- जहाँ भी संभव हो, डिजीटल सामग्री के लिए भी मुद्रित प्रकाशनों के समान ही नियमों का पालन करना।
- जब संदेह हो, अनुमति प्राप्त करें। सामान्यतया रचनाकार द्वारा गैर लाभ वाले उपयोगों के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है।
- हमेशा अपने पाठ्यक्रम साइट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करें, तथा उपयोगकर्ताओं को भी सूचित करें कि साइट पर सामग्री केवल उनके निजी उपयोग के लिए है, दूसरों के साथ साझा करने के लिए नहीं।
- दूसरे साइट सामग्री की नकल कर उसे अपने सर्वर पर डालने के बजाए उनके लिंक उपलब्ध करायें।
- दूसरी साइट के लिंक का उपयोग करने के दौरान, उस साइट की कॉपीराइट प्रावधानों की जाँच करें। यदि सुझाव दिया गया हो, वेबमास्टर को सूचित करें। कभी–कभी, किसी साइट पर भारी ट्रैफिक के कारण यह क्रैश हो सकता है (यदि उपयुक्त बैंडविड्थ उपलब्ध न हो), तथा इस प्रकार यदि आप बडी संख्या में उपयोगकर्ताओं को साइट की ओर निर्देशित कर रहे हों तो यह सामान्यतया यह आपका दायित्त्व है कि आप साइट को सूचित करें।
- अपने साइट पर कॉपीराइट वक्तव्य स्पष्ट रूप से दें।
- हमेशा दूसरी सामग्री के उपयोग को स्वीकार करें, विशेषकर प्राप्त की गयी अनुमति को इंगित करें। तृतीय पक्ष सामग्री के अपने साइट पर उपयोग की अनुमति न दें। अनुरोध कर रहे व्यक्ति को उपयुक्त कॉपीराइट धारक की ओर संदर्भित करें।

- सभी भागीदारों को कॉपीराइट और इसके प्रभावों के विषय में शिक्षित करें।
- उपयुक्त वैध उपकरण, अनुबंध, समझौते तैयार करें जो कॉपीराइट कानूनों के अनुरूप हों।

16.4.5 प्लेज्रिज्म अथवा साहित्यिक चोरी

प्लेज्रिज्म अथवा साहित्यिक चोरी, अकादमिक बेईमानी की माप है तथा यह अकादमिक नैतिकता का पालन करता है। यह अर्थदण्ड, कार्यक्षेत्र से निलम्बन, तथा यहाँ तक कि बर्खास्तगी की भी विषयवस्तु है। प्लेज्रिज्म एक अपराध नहीं है, लेकिन इसमें कॉपीराइट उल्लंघन पाया जा सकता है। शैक्षिक संस्थानों तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में प्लेज्रिज्म एक गंभीर आचार संबंधी अपकार है। प्लेज्रिज्म तथा कॉपीराइट उल्लंघन एक दूसरे से संबद्ध हैं, परन्तु वे समकक्ष अवधारणाएँ नहीं हैं। कॉपीराइट उल्लंघन में कई प्रकार की प्लेज्रिज्म पायी जाती है, जो कि कॉपीराइट कानून द्वारा परिभाषित की जाती है परन्तु दण्डनीय नहीं हैं। प्लेज्रिज्म परिभाषित नहीं है। हालांकि व्यक्ति जो प्लेज्रिज्म या साहित्यिक चोरी करता है उसे कानून द्वारा दण्डित नहीं किया जाता है, वह उस संस्थान द्वारा दण्डित किया जाता है जहाँ वह काम करता/करती है। सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले प्लेज्रिज्म सॉफ्टवेयरों के बारे में अगले उप–खण्डों में चर्चा की गयी है :

टर्नइटइन : टर्नइटइन एक इन्टरनेट आधारित प्लेज्रिज्म रोकने वाली व्यवसायिक सेवा है जिसे आई पाराडाइम्स, एलएलसी द्वारा तैयार किया गया है। इसे सबसे पहले 1997 में लान्च किया गया था। विशिष्ट रूप से, विश्विद्यालयों तथा उच्च विद्यालय टर्नइटइन वेबसाइट पर लेख दाखिल करने के लिए लाइसेंस खरीदते हैं, जो उन विषयवस्तुओं के लिए दस्तावेजों की जाँच करता है जो वास्तविक नहीं हैं। परिणामों को ऐसे संसाधनों के साथ समानता के लिए जाँचा जा सकता है जो पूर्व से अस्तित्त्व में हैं अथवा रचनात्मक आकलन में छात्रों के यह सीखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है कि अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए प्लेज्रिज्म से कैसे बचें। यह एक ट्रेडमार्क वाला सॉफ्टवेयर है। विद्यालयों द्वारा, प्लेज्रिज्म रोकने के लिए, छात्रों से अपने अपने लेख टर्नइटइन में दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ छात्रों द्वारा ऐसा करने से मना करने से यह एक आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि उनके अनुसार, इसमें अपराध की एक परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त, आलोचकों ने यह आरोप लगाया है कि ट्रेडमार्कवाला सॉफ्टवेयर शैक्षिक निजता का हनन करता है तथा अन्तरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानूनों का भी, तथा छात्रों के कार्यों को हमेशा के लिए टर्नइटइन के निजी डाटाबेस में संधारित कर उनका व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए दोहन करता है। (स्रोत : www.turnitin.com)

उरकुण्ड : उरकुण्ड प्लेज्रिज्म को देखने वाली एक पूर्णतः–स्वचालित व्यवस्था है। संक्षेप में, छात्र अपने दस्तावेजों को अपने शिक्षकों को मेल द्वारा भेजते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच, इलेक्ट्रानिक मार्ग के साथ, दस्तावेजों जाँच तीन स्रोत क्षेत्रों के विरूद्ध की जाती हैः इन्टरनेट, प्रकाशित सामग्री तथा छात्रों की सामग्री। यदि कोई दस्तावेज इन तीनों में से किसी स्रोत के साथ समानता प्रदर्शित करता है, व्यवस्था इसे संबद्ध शिक्षक को संभावित प्लेज्रिज्म के लिए चिन्हित कर देती है। एक विश्लेषण समीक्षा तैयार की जाती है तथा ई–मेल द्वारा संबद्ध शिक्षक को भेज दी जाती है। विश्लेषण समीक्षा एक शिक्षक द्वारा आवश्यक जानकारी को सरलीकष्त रूप में प्रस्तुत करती है जिससे यदि प्लेज्रिज्म हुआ है तो उसका निर्धारण किया जा सके।

उरकुण्ड इस प्रकार कार्य करता है :

छात्र – छात्र अपने दस्तावेज शिक्षकों/प्रोफेसरों को ई–मेल, वेब अपलोड अथवा एलएमएस के द्वारा भेजते हैं। ई–मेल विकल्प के साथ, किसी सॉफ्टवेयर को इन्सटॉल किये जाने की आवश्कता नहीं होती है।

उरकुण्ड– जब दस्तावेज उरकुण्ड पर पहुँचते हैं, वे तीन स्रोत क्षेत्रों के विरूद्ध जाँचे जाते हैंः इन्टरनेट, प्रकाशित सामग्री तथा छात्रों की सामग्री। जब विश्लेषण पूर्ण हो जाता है, दस्तावेजों तथा तैयार की गयी रिपोर्ट शिक्षकों को अग्रसारित कर दी जाती है।

शिक्षक – विश्लेषण का परिणाम तथा छात्रों के दस्तावेज शिक्षकों के पसन्द के ई–मेल पर अग्रसारित कर दिये जाते हैं, सीधे एक एलएमएस में अथवा उरकुण्ड वेब आधारित इन–बॉक्स में। उरकुण्ड न्यूनतम कार्यभार के साथ आसान, सरल, प्लेज्रिज्म की रोकथाम उपलब्ध कराता है।

(स्रोत : http://www.urkund.com/)

16.4.6 खुला स्रोत तथा खुली अर्थात् असंरचित विषयवस्तु

कॉपीराइट की व्यवस्था की जटिलताओं की प्रतिक्रिया में, खुला स्रोत अभियान 1985 में, रिचर्ड एम. स्टालमैन द्वारा फ्री सॉफ्टवेयर फाऊण्डेशन (एफएसएफ) (http://www.gnu.org/) की स्थापना के साथ उभरा। एफएसएफ ने जेनेरल पब्लिक लाइसेंस (जीपीएल) विकसित किया था जिसे अक्सर ''कॉपीलेफ्ट'' कहा जाता है, जो कार्यक्रम को इसके स्रोत कोड के साथ जारी करने की अनुमति देता है। वर्ष 1991 में, लिनस टॉरवाल्ड्स, जो कि हेल्सिंकी विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने एक परियोजना प्रारंभ की जो फैलकर ''खुले स्रोत की पोस्टर संतान'' बना (हार्ट, 2003). लिनक्स कर्नेल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में 0. 1 संस्करण के जारी किये जाने के साथ, सॉफ्टवेयर विकास की एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में खुले स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1190 के दशक के मध्य में, नेटस्केप ने अपने ब्राउजर के स्रोत कोड को प्रचारित करने का निर्णय लिया, जिसने एफएसएफ की विकल्प संस्था के रूप में ओपन सोर्स इनीसिएटिव अर्थात् ओएसआई या खुले स्रोत की पहल (http://www.opensource.org/) को बढावा दिया। ओएसआई ऐसा हर एक सॉफ्टवेयर को खुले स्रोत के रूप में होने के बारे में बरकरार रखता है,

- स्रोत कोड को सॉफ्टवेयर के साथ अवश्य वितरित किया जाना चाहिए अथवा उस मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि वितरण मूल्य से अधिक न हो।
- निर्माता को बिना कोई राजस्व भुगतान के पुनर्वितरण की अनुमति होनी चाहिए; तथा
- उपयोगकर्ता स्रोत कोड में बदलाव कर सके तथा इसके बाद रूपांतरित सॉफ्टवेयर को समान शर्तों के अन्तर्गत वितरित कर सके।

कभी–कभी, खुले स्रोत के तहत जारी किये गये सॉफ्टवेयर को ''मुफ्त तथा खुला स्रोत सॉफ्टवेयर''(FOSS) भी कहा जाता है। कुछ सीमा तक, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर उस सीमा तक बिना किसी शुल्क के होता है जिसमें वे उपयोग पर कोई लाइसेंसिंग शुल्क नहीं माँगते। हलांकि, इसे ''फ्रीवेयर'' के रूप में नहीं मानना चाहिए, जिसे उनके साध्य रूप में बिना स्रोत कोड के, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। खुले स्रोत के मामले में, निःशुल्क होना एक स्वतंत्रता के समान है और इसे इस प्रकार देखा जा सकता हैः

- स्रोत कोड तक पहुँच की स्वतंत्रता;
- सॉफ्टवेयर को बिना कोई लाइसेंस शुल्क चुकाये उपयोग करने की स्वतंत्रता;
- पुनर्वितरण की स्वतंत्रता; तथा

- सॉफ्टवेयर को बदलाव लाने तथा वितरण करने की स्वतंत्रता।

खुले स्रोत वाले सॉफ्टवेयर, मूल्य की अनुकूलता के कारण शिक्षा में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर निःशुल्क है, तथा इस कारण से कोई भुगतान नहीं करना होता है। हालांकि, कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण तथा रख–रखाव शुल्क लिया जा सकता है। आज, लगभग सभी ट्रेडमार्क युक्त सॉफ्टवेयरों का एक खुले स्रोत वाला विकल्प है जिसे आप इन्टरनेट पर ढूंढ सकते हैं। खुला स्रोत अभियान का पालन करते हुए, 2012 में, यूनेस्को की पहल के साथ, खुली विषयवस्तु अभियान का प्रारंभ हुआ जिसे अब लोकप्रिय रूप से **खुला शैक्षिक संसाधन** अथवा **ओ.ई.आर.** (ओपन एजुकेशनल रिसोर्स) कहा जाता है।

खुला शैक्षिक संसाधन को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है– ''सूचना तथा संवाद तकनीकी द्वारा समर्थ बनाए गये शैक्षिक संसाधनों के प्रावधान, जिसका परामर्श, उपयोग तथा रूपांतरण, उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय द्वारा, गैर–व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है'' (यूनेस्को, 2012)। इसलिए, खुली विषयवस्तु संसाधन सामग्री द्वारा एक खुली लाइसेंस नीति का पालन किया जाता है जिसमें दूसरे उपयोगकर्त्ताओं को बिना अनुमति प्राप्त किये सामग्री के इस्तेमाल अनुमति होती है। खुला शैक्षिक संसाधन के क्रियेटिव कॉमन्स् लाइसेन्स के उभर कर आने के कारण, रचनाकारों के मूल कार्यों के लिए उपयोग के नियमों व शर्तों को सुनिश्चित करना आसान हो गया है। खुली शैक्षिक संसाधन सामग्रियों का उपयोग कर संस्थानों द्वारा पैसा बचाया जा सकता है तथा कार्य के दोहरावों को रोका जा सकता है। यूनेस्को ने खुला शैक्षिक संसाधन को बढावा देने के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया है (देखें http:// oerwiki.iiep-unesco.org/)। ऐसे अन्य भी प्रावधान हैं, जिनके साथ किन्डरगार्टेन के छात्रों से लेकर जीवनपर्यन्त सीखने के लिए उपयुक्त विस्तृत विषयवस्तु उपलब्ध है। इनमें से कुछ, इस प्रकार हैं:

- WikiEducator (www.wikieducator.org)
- Connections (www.cnx.org)
- Curriki (www.curriki.org)
- OER Commons (www.oercommons.org)

क्रियेटिव कॉमन्स्

क्रियेटिव कॉमन्स् एक संस्था है जिसकी स्थापना ''मुफ्त कानूनी उपकरणों के माध्यम से सृजनात्मकता तथा ज्ञान को साझा करने तथा उपयोग में लाने को सक्षम बनाने'' के लिए की गयी थी। यह कॉपीराइट लाइसेंस के एक समुच्य का बना है जो बौद्धिक संपदा के हिस्सों के निर्माणकर्ताओं को मदद देता है कि वे पहुँच के स्तरों का वर्गीकरण कर सकें जिसके अनुरूप वे दूसरों को अपनी सामग्री के विषय में अनुमति दें।

आप क्रियेटिव कॉमन्स् के बारे में विस्तार से जानकारी http://creativecommons.org/, http://wiki.creativecommons.org/images/6/62/Creativecommons-informationalflyer_eng.pdfपर पाएंगे।

लाइसेंस की शर्तें

क्रियेटिव कॉमन्स् विशेष रूप से एक लेखक को अपने कार्य को वर्गीकृत करने पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित मुद्दों का ध्यान रखने का सुझाव देते हैं:

(यह भी देखें http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing):

1) सुनिश्चित करें कि किया गया कार्य कॉपीराइट किये जा सकने वाला है।

2) इसकी पुष्टि करें कि लेखक के पास इसके कानूनी अधिकार हैं कि वह उस कार्य के ऊपर प्रभुत्त्व का दावा कर सकें।

3) यह पक्का करें कि वे पूरे कार्य, शर्तों तथा एक सीसी लाइसेंस की योग्यता से अवगत हैं।

4) यह पक्के तौर पर जान लें कि लेखक किस चीज का लाइसेंस ले रहा है।

5) परख लें कि लेखक की संबद्धता किसी अन्य पक्ष से तो नहीं है जिसे चुने गये लाइसेंस से कोई समस्या नहीं है।

तालिका 16.1: प्रमुख सीसी लाइसेंस

Attribution **CC BY** This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.	**Attribution-ShareAlike** **CC BY-SA** This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to "copyleft" free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.
Attribution-NoDerivs **CC BY-ND** This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you.	**Attribution-NonCommercial** **CC BY-NC** This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don't have to license their derivative works on the same terms.
Attribution-NonCommercial-ShareAlike **CC BY-NC-SA** This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.	**Attribution-NonCommercial-NoDerivs** **CC BY-NC-ND** This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can't change them in any way or use them commercially.

स्रोत: http://wiki.creativecommons.org.

16.4.7 निजता नीति

निजता नीतियाँ एक कानूनी पृष्ठ हैं जो ऐसे किसी भी साईट के पास होनी चाहिए जिनमें अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार की सूचना एकत्र करते हैं। एकनिजता नीति द्वारा इन्हें शामिल किया जाना चाहिए :

- आपके द्वारा उपयोग की गयी कुकीज तथा अन्य ट्रैकर्स;
- आप एकत्र की गयी व्यक्तिगत सूचना का उपयोग कैसे करते हैं;
- आप एकत्र की गयी सूचना का वितरण किन्हें करते हैं;
- व्यक्तिगत सूचना के मिटाये जाने के लिए संपर्क सूचना;
- तृतीय–पक्ष के विषय में सूचना जो सूचना एकत्र कर सकता है (जैसे कि विज्ञापनकर्त्ता); तथा
- संपादन तिथि, जब दस्तावेज में बदलाव किया गया है।

दिया गया बॉक्स–1 नमूना, मार्गदर्शन वेबसाइट http://web.guidelines.gov.in से एक निजता नीति वक्तव्य है।

बॉक्स 1

निजता नीति

हम आपकों प्रतिक्रिया देने (उदाहरण के लिए– आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए) के अलावा किसी और उद्देश्य से आपकी व्यक्तिगत सूचना एकत्र नहीं करते। यदि आप हमें व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराना चुनते हैं, जैसे कि हमें संपर्क करें जिसके साथ ई–मेल पता अथवा डाक का पता होता है, तथा उसे हमारे पास वेबसाइट के माध्यम से जमा कराते हैं, तो हम उस सूचना का उपयोग आपके संदेशों का उत्तर देने के लिए करते हैं तथा आपको वह सूचना प्राप्त करने में सहायता करते हैं जिसके लिए आपने अनुरोध किया है।

हमारी वेबसाइट कभी भी सूचना एकत्र नहीं करती अथवा कभी व्यवसासिक क्रय–विक्रय के लिए व्यक्तिगत प्रोफाइल नहीं तैयार करती। हालांकि आपके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न अथवा आपकी स्थानीय टिप्पणी के लिए एक प्रतिक्रिया देने हेतु आपके द्वारा हमें एक ई–मेल पता अवश्य उपलब्ध कराना होता है, हम यह अनुशंसा करते हैं कि आप इसमें कोई अन्य व्यक्तिगत सूचना इसमें शामिल **नहीं** करें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी : अ) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

5) प्लेज्रिज्म अथवा साहित्यिक चोरी को परिभाषित करें। वे कौन से दो सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग प्लेज्रिज्म की जाँच के लिए किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) क्रियेटिव कॉमन्स अथवा सीसी क्या हैं? किन्हीं छह सीसी लाइसेंसिंग को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

16.5 विविधता को दृढ़ता प्रदान करने के लिए तकनीकी संसाधन

21वीं सदी की आवश्यकताओं, जैसे कि तकनीकी, सूचनापरक, तथा अंतर्वैक्तिकता, को पूरा करने के संदर्भ में, विद्यालयों को रणनीतिक निर्देशों को लागू करने की जरूरत होती है, जिसमें छात्रों के लिए तकनीकी तथा अंतर्वैक्तिक कौशल शामिल होते हैं। अनुदेशात्मक रणनीतियों में तकनीकी तक न्यायसंगत पहुँच को अवश्य शामिल होना चाहिए तथा इसमें अन्तर सांस्कृतिक संवाद को अवश्य बढावा दिया जाना चाहिए। जबकि तकनीकी की ओर न्यायसंगत पहुँच की ओर बढते हुए, संस्थान को शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हुए बहुसांस्कृतिक शिक्षण युक्तियों को आगे बढाना चाहिए।

शिक्षकों को शैक्षणिक तथा तकनीकी चुनौतियों को सुरक्षित रखते हुए बहुसांस्कृतिक शिक्षण में तकनीकी को शामिल कर सकने का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त होना चाहिए अथवा उन्हें यह सीखना चाहिए। शिक्षकों को उच्चतर स्तर के चिंतन कौशलों पर कार्य करना चाहिए, जिसमें कौशलों को नये परिप्रेक्ष्यों में संश्लेषित तथा उपयोग की आवश्यकता होती है। सभी छात्रों को बिना जाति, रंग, अथवा जन्मस्थान के देश के भेदभाव के संसाधनों तक समान पहुँच होनी चाहिए, जिसमें कि शिक्षण, तकनीकी तथा निर्देशात्मक सामग्री शामिल हैं।

16.6 संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच के लिए तकनीकी

आईये पहले हम इसपर चर्चा करें कि 'संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच क्या है?' न्यायसंगत पहुँच का अर्थ है तकनीकी यंत्रों, जैसे कि कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट तक पूरी पहुँच उपलब्ध कराना।

प्रत्येक छात्र के पास तकनीकी तक पहुँच के अवसर होने चाहिए। शिक्षक के पास भी तकनीकी के उपयोग का ज्ञान हो जिससे कि वह छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव उपलब्ध करा सकें। न्यायसंगत पहुँच, सामाजिक–आर्थिक अन्तराल को भरने का कार्य करता है तथा सभी छात्रों को तकनीकी आधारित अधिगम उपलब्ध कराता है। न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करने के लिए, संस्थाओं को पर्याप्त बैंडबिड्थ तथा इन्टरनेट कनेक्शन गति के लिए प्रावधानों का होना सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय और कहीं भी शिक्षण–अधिगम को संभव बनाया जा सके।

न्यायसंगत पहुँच क्यों महत्त्वपूर्ण है?

तकनीकी के पास उन लोगों तक पहुँचने की शक्ति है जिनतक पहुँचा नहीं जा सका है। यह छात्रों को ई–मेल, चैट, डिस्कशन फोरम जैसे किसी भी संवाद के माध्यम का उपयोग करते हुए शैक्षिक संसाधनों तक पहुँचने तथा शिक्षकों के साथ बातचीत का एक अवसर प्रदान करता है। तकनीकी द्वारा सुविधाहीन छात्रों केलिए शिक्षा के बढाने के लिए विकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं। तकनीकी क्रियान्वयन की योजना बनाने के दौरान, संस्थान को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि छात्रों के घरों में न्यूनतम आधारभूत संरचना है जिसके द्वारा वे डिजीटल संसाधनों तक पहुँच सकें तथा संस्थान में छात्रों के लिए डिजीटल संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए जिससे उनके ज्ञान तथा कौशलों में वृद्धि हो सके। तकनीकी द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की जरूरतें जरूरी पूरी होनी चाहिए।

कई शैक्षिक परिवेश अब 'अपना स्वयं का उपकरण लायें' के परिवेश की ओर बढ रहे हैं जहाँ छात्र संस्थान में अपना स्वयं का टैबलेट, लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन लेकर आते हैं। इन उपकरणों का स्वामित्त्व उनका होता है। अक्सर सरकार अथवा समुदाय छात्रों को लैपटॉप

वितरित करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरित किये जाने की योजना प्रारंभ की। उसी प्रकार से, केन्द्र सरकार न्यूनतम मूल्य पर आकाश टैबलेट लेकर आयी थी। यह छात्रों के लिए घर तथा संस्थान दोनों स्थानों पर अधिगम तथा संवाद के लिए उपकरण तक पहुँच का सुगम बनाता है। पलटी हुई कक्षा (जिसे फ्लिप्ड कक्षा कहा जाता है) अधिगम वहाँ किया जा सकता है जहाँ विषयवस्तु का सीखना घर पर पूर्ण किया जाता है तथा छात्र कक्षाकक्ष में चर्चा तथा सहयोगपूर्ण अधिगम के लिए आते है।

मुक्त शैक्षिक संसाधन अभियान, डिजीटल संसाधनों का संग्रह उपलब्ध कराता है जो संसाधनों, शिक्षणशास्त्र तथा सामग्री के निःशुल्क रूप से साझा किये जाने के माध्यम से शिक्षण और अधिगम को सुगम बनाता है।

16.7 सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दों पर आईसीटी का प्रभाव

तकनीकी का समाज पर एक बडा प्रभाव पडा है, विशेषकर सोशल मीडिया के संदर्भ में। नई तकनीकी का समाज के साथ, तथा विशेषकर परिवार के साथ जुडने से लोगों के परस्पर जुडने पर अत्यधिक प्रभाव पडा है। इस क्षेत्र के विषय में उपलब्ध साहित्त्य में तकनीकी का प्रभाव परिवारों के भीतर की परस्पर क्रिया पर पड़ने का उल्लेख मिलता है। पीढियों के अन्तराल तथा डिजिटल विभाजन को कम करने में तकनीकी सहायक सिद्ध होती है। हालांकि, सोशल मीडिया के कारण, परिवारों के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। इसलिए, परिवार के सदस्यों के बीच संवाद में कमी आयी है। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत में कमी होने से परिवार की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच खराब संबंधों की ओर ले जाता है। आरसंद (2007) के अनुसार, उपकरण तथा सोशल मीडिया जैसे कि ''वीडियो गेम्स, कम्प्यूटर गेम्स, फेसबुक, इन्सटाग्राम, व्हाट्सएप्प तथा ई–मेल'' अब बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। समाज में एक डिजिटल विभाजन बन गया है। डिजिटल विभाजन का तात्पर्य ''उनके बीच अन्तर से है जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं कि एक डिजिटल परिवेश में कैसे व्यवहार करना चाहिए'' इसका अर्थ है ''जो डिजिटल तकनीकी पर स्वामित्त्व स्थापित करते हैं तथा जो नहीं कर पाते उनके बीच एक पीढी का अन्तराल है''(आरसंद, 2007).

16.7.1 आईसीटी तथा बाल विकास

आजकल डेस्कटॉप का स्थान स्मार्ट फोन्स् ने ले लिया है। स्मार्ट फोन्स् में वे सभी विशेषताएँ हैं जो एक डेस्कटॉप में होती है तथा छात्रों को कभी भी, कहीं भी, सीधे एक–दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से टेक्सट करने, चैट करने, तस्वीरें व आडियो/वीडियो क्लिप भेजने तथा पोस्ट करने की अनुमति देता है। मोबाइल उपकरण, विशेषकर स्मार्ट फोन्स का उपयोग किशोरों द्वारा किया जाता है और यह उनके नित्य जीवन का हिस्सा बन गया है। समूह के दबाव के कारण, बच्चे अपने माता–पिता पर परिष्कृत मोबाइल यंत्र खरीदने के लिए जोर डालते हैं। आजकल स्कूलों द्वारा छात्रों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। सोशल मीडिया में अच्छी और बुरी दोनों सूचना होती है। बच्चों को बुरी सूचनाओं को खोलने का लालच हो सकता है। इन दिनों माता–पिता तथा शिक्षकों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है क्योंकि पूरी दुनिया हमारे बच्चों एक क्लिक पर है। एक बच्चा समय और स्थान की परवाह किये बिना दुनिया के दूसरे छोर से जुड सकता है। व्यक्ति को डिजीटल संसार में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए।

हालांकि, स्मार्ट फोन और मोबाइल उपकरणों का उपयोग शिक्षण तथा अधिगम के लिए किया जा सकता है। अधिकांश विद्यालयों का शिक्षण–अधिगम के लिए मिश्रित रास्ता होता है। शिक्षक चर्चा के मंच का निर्माण करते हैं, छात्र व्हाट्सएप्प समूह के द्वारा आपस में संवाद करते हैं तथा सूचनाओं को साझा करते हैं। समवय समूह चर्चा तथा सहयोगपूर्ण परियोजनाओं को छात्रों के बीच प्रोत्साहित किया जा सकता है। कई विद्यालयों के पास उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में समेकित आईसीटी है। आईसीटी छात्रों को ज्ञान तथा कौशलों को अद्यतन करने में सहायता देती है। चूंकि आईसीटी ने अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के डिजिटल वातावरण का निर्माण किया है, माता–पिता तथा शिक्षकों द्वारा छात्रों को सही तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए जिससे कि वे आईसीटी का उपयोग कर अपने ज्ञान तथा कौशलों को समृद्ध कर सकें।

16.7.2 साइबर बुलिंग (डराना–धमकाना)

साइबर बुलिंग एक आधुनिक प्रकार की बुलिंग यानि कि डराना–धमकाना है जो की वेब पर किया जाता है। साइबर बुलिंग आज के उन सबसे विनाशकारी समस्याओं में से एक है जिसका सामना लोग करते हैं। कई युवा अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। जब सोशल मीडिया पर उनका सामना नकारात्मक शब्दों, चित्रों, तथा संदेशों से होता है, तब वे मनोवैज्ञानिक रूप से अशांत हो जाते हैं। सोशल मीडिया के निरंतर व्यसन से, साइबर बुलिंग को रोक पाना कठिन होता जा रहा है। एप्प और साइट, जैसे कि व्हाट्सएप्प, इन्सटाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्वीटर आदि अधिकांशतः युवाओं के द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं। कभी–कभी वे इन एप्पस् और साइटस् पर साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। हमें आज के अत्यधिक जुडे हुए संसार में साइबर बुलिंग सामना करने तथा इसे रोकने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है। आइये हम इस बात पर चर्चा करें कि साइबर बुलिंग की रोकथाम कैसे हो? समीर एच. तथा जस्टीन डब्लू. पी. (2012) ने किशोरों के लिए साइबर बुलिंग की रोकथाम के दस सुझाव दिये हैं। अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र 16.1 व्याख्या करता है कि साइबर बुलिंग की रोकथाम कैसे करें।

16.7.3 तकनीकी के उपयोग से व्यसन, व्यग्रता तथा तनाव का होना

इन्टरनेट का व्यसन एक विकार है जो बहुधा इन्टरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण होती है। इससे गुस्सा, तनाव, व्यग्रता तथा अवांछित व्यवहार की समस्या हो सकती है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन केलिए अत्यधिक नुकसानदेह है। इन्टरनेट का व्यसन बहुत तेज गति से बढ रहा है तथा एक मानसिक समस्या बनता जा रहा है। यह सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक विकारों की ओर ले जाता है। वे लोग जिन्हें 'तकनीकी का व्यसन' है उन्हे शारीरिक समस्याएँ हैं, जैसे कि नींद की गड़बडी, पीठ में खिंचाव, आँखों में दर्द, आदि। वे परिवार, कार्यस्थल तथा सामाजिक जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं जो उन्हें व्यग्रता, तनाव तथा अवसाद, समय नष्ट करने, स्कूल के कार्य या घर के दायित्त्वों की उपेक्षा करने और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से बातचीत न करने की दिशा में ले जाता है। यह उन्हें अधिक अन्तर्मुखी बना देता है तथा परिवार तथा समाज के साथ उनके पारस्परिक क्रिया को न्यूनतम कर देता है। इन्टरनेट का अत्यधिक उपयोग एकाग्रता में कमी ला सकता है।

व्यक्ति को व्यसन से बचने के लिए इन्टरनेट तथा तकनीकों के इस्तेमाल में स्व–अनुशासन रखना चाहिए। माता–पिता, बडों तथा शिक्षकों को बच्चों के द्वारा इन्टरनेट के उपयोग किये जाने पर नजर रखनी चाहिए।

Preventing Cyberbullying

Top Ten Tips for Teens

Sameer Hinduja, Ph.D. and Justin W. Patchin, Ph.D.

January 2012

1. Educate yourself

To prevent cyberbullying from occurring you must understand exactly what it is. Research what constitutes cyberbullying, as well as how and where it is most likely to occur. Talk to your friends about what they are seeing and experiencing.

2. Protect your password

Safeguard your password and other private information from prying eyes. Never leave passwords or other identifying information where others can see it. Also, never give out this information to anyone, even your best friend. If others know it, take the time to change it now!

3. Keep photos "PG"

Before posting or sending that sexy image of yourself, consider if it's something you would want your parents, grandparents, and the rest of the world to see. Bullies can use this picture as ammunition to make life miserable for you.

4. Never open unidentified or unsolicited messages

Never open messages (emails, text messages, Facebook messages, etc.) from people you don't know, or from known bullies. Delete them without reading. They could contain viruses that automatically infect your device if opened. Also never click on links to pages that are sent from someone you don't know. These too could contain a virus designed to collect your personal or private information.

5. Log out of online accounts

Don't save passwords in form fields within web sites or your web browser for convenience, and don't stay logged in when you walk away from the computer or cell phone. Don't give anyone even the slightest chance to pose as you online through your device. If you forget to log out of Facebook when using the computer at the library, the next person who uses that computer could get into your account and cause significant problems for you.

6. Pause before you post

Do not post anything that may compromise your reputation. People will judge you based on how you appear to them online. They will also give or deny you opportunities (jobs, scholarships, internships) based on this.

7. Raise awareness

Start a movement, create a club, build a campaign, or host an event to bring awareness to cyberbullying. While you may understand what it is, it's not until others are aware of it too that we can truly prevent it from occurring.

8. Setup privacy controls

Restrict access of your online profile to trusted friends only. Most social networking sites like Facebook and Google + offer you the ability to share certain information with friends only, but these settings must be configured in ordered to ensure maximum protection.

9. "Google" yourself

Regularly search your name in every major search engine (e.g., Google, Bing, Yahoo). If any personal information or photo comes up which may be used by cyberbullies to target you, take action to have it removed before it becomes a problem.

10. Don't be a cyberbully yourself

Treat others how you would want to be treated. By being a jerk to others online, you are reinforcing the idea that the behavior is acceptable.

Sameer Hinduja, Ph.D. is an Associate Professor at Florida Atlantic University and Justin W. Patchin, Ph.D. is an Associate Professor at the University of Wisconsin-Eau Claire. Together, they lecture across the United States and abroad on the causes and consequences of cyberbullying and offer comprehensive workshops for parents, teachers, counselors, mental health professionals, law enforcement, youth and others concerned with addressing and preventing online aggression. The Cyberbullying Research Center is dedicated to providing up-to-date information about the nature, extent, causes, and consequences of cyberbullying among adolescents.

For more information, visit http://www.cyberbullying.us.

© 2012 Cyberbullying Research Center - Sameer Hinduja and Justin W. Patchin

चित्र. 16.1 : साइबर बुलिंग कैसे रोकें?

स्रोत: www.cyberbullying.us

16.7 सारांश

इस इकाई में, आईसीटी के उपयोग में सामाजिक, कानूनी तथा आचार संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। हमने आईसीटी से जुडे भय, भय के लक्षणों तथा आईसीटी से जुडे भय से कैसे निजात पाएं, इसपर चर्चा की। हमने आईसीटी नीतियों तथा इन्टरनेट फिल्टरिंग पर चर्चा की जो इन्टरनेट पर उपलब्ध संसाधनों के सुरक्षित उपयोग को सुगम बनाता है। आपने डिजीटल दुनिया में कॉपीराइट के मुद्दों के बारे में सीखा। खुले स्रोत, खुली अर्थात् असंरचित विषयवस्तु तथा क्रियेटिव (सृजनात्मक) कॉमन्स् लाइसेंसिंग की व्याख्या की गयी। वैसे तकनीकी संसाधनों की चर्चा की गयी जो विविधता को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा इसमें इसपर जोर दिया गया है कि निर्देशात्मक रणनीतियों में सभी छात्रों की तकनीकी तक न्यायसंगत पहुँच को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इस इकाई के अन्त में, हमने सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दों पर आईसीटी के प्रभावों की चर्चा की है, जिसमें आपने आईसीटी तथा बाल विकास, साइबर बुलिंग, तकनीकी के व्यसन आदि के बारे में सीखा है।

16.8 संदर्भ सामग्री तथा सुझावात्मक पठन सूची

- आरसंद, पी. ए. (2007). ''कम्प्यूटर एण्ड वीडियो गेम्स इन फैमिली लाइफ : द डिजीटल डिवाइड ए रिर्सोस इन इन्टरजेनेरेशनल इन्टरैक्शन्स.'' चाइल्डहुड. 14 (2):235–256.
- बेट, ए. डब्लू. (2000). मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेन्ज, सैन फ्रान्सिसकोः जॉसी–बैस.
- हार्ट, टी. . (2003). ओपन रिर्सोस इन एजुकेशन. अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड, ऑल मेटेरियल इज लाइसेंसड् अन्डर द क्रियेटिव कॉमन्स् एटरिब्यूसन–नॉन कार्मसियल शेयर अलाईक लाइसेंस. इस लाईसेंस की एक कॉपी देखने के लिए http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/ पर जायें अथवा क्रियेटिव कॉमन्स्, 559 नाथन अबॉट वे, स्टैनफोर्ड, कैलिफार्निया 94305, यूएसएपर पत्र लिखें।
- यूनेस्को (2002). ओपन एण्ड डिस्टेन्स लर्निंग. ट्रेन्ड्स, पॉलिसी एण्ड स्ट्रैटेजी कन्सीड्रेशन्स. पेरिस, यूनेस्को।
- यूनिट 4: ''मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेन्ज'' ऑफ ब्लॉक 1: ''कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीः बेसिक्स ऑफ कोर्स ''एजुकेशनल कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजिज'' ऑफ एमए इन डिस्टेंस एजुकेशन, 2010.
- यूनिट 3: ''साइबरस्पेस एण्ड साइबर क्राईम'' http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/9490/1/Unit-3.pdf

16.9 आपकी प्रगति को जाँचने के लिए उत्तर

1) साइबरस्पेस को आनलाइन या इन्टरनेट परिवेश कहते हैं। साइबरस्पेस ने सोशल मीडिया को तेजी से विकसित होने के लिए स्थान उपलब्ध कराया है, विभिन्न प्रकार के संचार मीडिया का होना संभव हो पाया है, उदाहरण के लिए, संवादमूलक माध्यम जैसे कि ई–मेल, फेसबुक, ट्वीटर, इत्यादि।

2) आईसीटी के भय को पराजित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जा सकता हैः

- वैसे लोग जिन्हें आईसीटी का भय है, उन्हें नई तकनीकी के अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससें उनके आत्म–विश्वास में सुधार हो।
- युवा लोगों द्वारा अधिक उम्र के उन लोगों को अवश्य समर्थन तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें आईसीटी का भय है। उन्हें भय को पराजित करने के अपने प्रयासों के लिए प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3) विद्यालयी शिक्षा पर आईसीटी नीति, वर्ष .....**2012**..... में तैयार की गयी।

4) इन्टरनेट फिल्टर एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो माता–पिता, शिक्षकों तथा प्रशासकों को यह अनुमति देता है कि वे अनुमति प्रदत तथा निषिद्ध वेबसाइट्स की सूची को नियंत्रित कर सकें। वास्तविक रूप से, इन्टरनेट फिल्टर का उपयोग घरों तथा पब्लिक स्कूलों व पुस्तकालयों में किया जाता था।

आखिरकार, व्यवसायों, निजी क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र में में इन्टरनेट के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए इन्टरनेट फिल्टर को शामिल कर लिया गया है। यह कर्मचारियों द्वारा कार्य अवधि के दौरान समय व्यर्थ करने की रोकथाम करने तथा इन्टरनेट को दुर्भावनापूर्ण विषयवस्तु से सुरक्षित रखने को सुगम बनाता है।

5) प्लेज्रिज्म अथवा साहित्यिक चोरी, अकादमिक बेईमानी की माप है तथा यह अकादमिक आचार का पालन करता है। यह अर्थदण्ड, कार्यक्षेत्र से निलम्बन, तथा यहाँ तक कि बर्खास्तगी की भी विषयवस्तु है। प्लेज्रिज्म एक अपराध नहीं है, लेकिन इसमें कॉपीराइट उल्लंघन पाया जा सकता है।

टर्नइटइन तथा उरकुण्ड सामान्यतया इस्तेमाल किये जाने वाले प्लेज्रिज्म सॉफ्टवेयर हैं।

6) क्रियेटिव कॉमन्स् एक संस्था है जिसकी स्थापना ''मुफ्त कानूनी उपकरणों के माध्यम से सृजनात्मकता तथा ज्ञान को साझा करने तथा उपयोग में लाने को सक्षम बनाने'' के लिए की गयी थी। यह कॉपीराइट लाइसेंस के एक समुच्य का बना है जो बौद्धिक संपदा के हिस्सों के निर्माणकर्ताओं को मदद देता है कि वे पहुँच के स्तरों का वर्गीकरण कर सकें जिसके अनुरूप वे दूसरों को अपनी सामग्री के विषय में अनुमति दें।

सीसी लाइसेंसिंग हैं (i) CC-BY (ii) CC-BY-SA (iii) CC-BY-ND (iv) CC-BY-NC (v) CC-BY-NC-SA (vi) CC-BY-NC-ND